प्रेस नोट **17/03/2025**

गैर इरादतन हत्या से संबंधित मामले में वांछित 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.03.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मादी पावर हाउस के पास से मु0अ0सं0 31/25 धारा 3(5), 110, 105, 115(2), 351(2), 352 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तगण राम प्रवेश पुत्र स्व0 किशुनधारी, अभय पुत्र राम प्रवेश, गीता पत्नी राम प्रवेश, रिंकी पुत्री राम प्रवेश, पिंकी पुत्री राम प्रवेश, प्रियंका पुत्री राम प्रवेश निवासीगण मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से आलाकत्ल एक अदद फावडा, एक अदद लोहे का सरिया व 04 अदद बास के डण्डे बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु31 0सं0अ0/3 धारा 25(5) ,110 ,105 ,115)2(, 351(2) ,352 बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. राम प्रवेश पुत्र स्व0 किशुनधारी निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. अभय पुत्र राम प्रवेश निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. गीता पत्नी राम प्रवेश निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. रिंकी पुत्री राम प्रवेश निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. पिंकी पुत्री राम प्रवेश निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
6. प्रियंका पुत्री राम प्रवेश निवासी मादी दुल्लाह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद फावडा।
2. एक अदद लोहे का सरिया।
3. 04 अदद बास के डण्ड।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उभाष्कर राय .नि. थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. उ महादेव गुप्ता .नि.थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. काबृजमोहन . थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. कासंजय यादव 0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
6. का अमित शर्मा 0थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
7. कारमाकान्त यादव 0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
8. मसभ्या सिंह 0आ0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
9. मनन्दनी गुप्ता 0का0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
10. म ज्योति गौतम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 0का0।

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भार में नगहर माता मंदिर व ग्राम बरपुर में बैष्णो माता मंदिर में रखे दान पेटी व रुपये को चुराने की घटना में शामिल एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दान पेटी, चापड़, लोहे की सुम्मी व कुल 9454 रुपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.03.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम भार में मगहर माता मंदिर के पास से मु0अ0सं0 37/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी व मु0अ0सं0 106/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी से संबंधित अभियुक्त गांधी चौहान पुत्र संतोष चौहान निवासी मनसड़ी थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद दान पेटी, एक अदद लोहे का चापड़, एक अदद लोहे की सुम्मी व कुल 9454 रुपये बरामद किया। कडाई से पुछताछ पर बताया कि मंदिरो में दान पात्र चुरा कर तोड़कर उसके अन्दर रखे रुपये ले लेता हुँ। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0सं0अ0 37/303 धारा 25(2),317)2बीएनएस थाना सरायलखन्सी (जनपद मऊ।
2. मु106 0सं0अ0/303 धारा 25(2),317)2बीएनएस थाना सरायलखन्सी (जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. गांधी चौहान पुत्र संतोष चौहान निवासी मनसड़ी थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद दान पेटी।
2. एक अदद लोहे का चापड़।
3. एक अदद लोहे की सुम्मी।
4. कुल रुपये 9454।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 काशीनाथ चंदेल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 विक्की कुमार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. हे0का0 प्रभाकर सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380,411 भादवि थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.03.2025 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बंधारोड के पास से मु0अ0सं0 42/25 धारा 118(1), 115(2), 351(2), 352, 109 बीएनएस

में वांछित अभियुक्त मुजीब उर्फ मुजीबुर्रहमान पुत्र बसरुल्लाह निवासी प्यारेपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कृषि कार्य के लिए भारत सरकार की योजना जिसमें सोलर पंपिंग सेट दिलाने के नाम पर वादी से की गयी जालसाजी की धनराशि 25000 रुपये थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना चिरैयाकोट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए कृषि कार्य के लिए भारत सरकार की योजना जिसमें सोलर पंपिंग सेट दिलाने के नाम पर वादी से की गयी जालसाजी, पीडित बाला यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी सेंचुई थाना चिरियाकोट मऊ के धनराशि 25000 रुपये की धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना चिरैयाकोट के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।